


## पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश संख्या: 618 / 2021

इस कार्यालय के पत्र संख्या: का/283/अम-अरे/पार.स्थानां/परि/सोन/2021 दिनांक: 05.07.2021 एवं मरेप्र (कार्मिक)/पूर्व सीमान्त रेल/कटिहार मंडल के पत्र संख्या: E/283/IRT/IDT(Optg)/ET/Pr.III दिनांक: 06.07.2021 के द्वारा श्री मुन्ना चौहान, ट्रा0 पोर्टर/मानसी, अधीन स्टेधी/मानसी, सोनपुर मंडल एवं श्री मुकेश कुमार, पीमैन-बी/जोगवनी, पूर्व सीमान्त रेल/कटिहार मंडल के साथ वेतनमान (5200-20200) + जीपी-1800 (लेवल-01) में अंतर रेल/मंडलीय पारस्परिक स्थानांतरण पर दोनों मंडलों की सहमति प्राप्त है।

अतः श्री मुन्ना, ट्रा0 पोर्टर/मानसी को इस कार्यालय में सत्यापित पहचान के साथ किसी कार्य दिवस में विरमित कर भेजे, जिससे कि कर्मचारी श्री मुन्ना, ट्रा0 पोर्टर/मानसी को पूर्व सीमान्त रेल/कटिहार मंडल के लिए विरमित किया जा सके। पारस्परिक स्थानांतरण निम्न शर्तों के अधीन अनुमेय होगा।

1. विरमन के समय कर्मचारी डीएआर, एसपीई एवं विजिलेंस मामलों से मुक्त होना चाहिये।
2. नियमानुसार दोनों कर्मचारियों को किसी प्रकार का भत्ता तथा सीटीजी/पास/स्थानांतरण अवकाश देय नहीं होगा।
3. नियमानुसार दोनों कर्मचारी पुराने मंडल में दुबारा स्थानांतरण नहीं लेंगे।
4. वरीयता पारस्परिक स्थानांतरण के नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा।

  
( बिजय इंजीनियर )


सकाधि-111

कृते मरेप्र(का0)/सोनपुर  
दिनांक: 14.09.2021

संख्या: का/283/अम-अरे/पार.स्थानां/परि/सोन/2021

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मरेप्र (का0)/पूर्व सीमान्त रेल/ कटिहार मंडल।
2. वमपचाप्र/सोनपुर एवं वमविप्र/सोनपुर।
3. स्टेधी/मानसी।
4. संबंधित कर्मचारी।
5. कार्यालय प्रति।
6. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयु, अजा-अजजा एशो0 एवं ओबीसी एशो0 सोनपुर मंडल।

  
कृते मरेप्र(का0)/सोनपुर